न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 43/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00066

उनवान

1. त्रिवेणी पत्नी रामहेत } जाति लोधा निवासी भवनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. चन्दा पुत्री रामहेत }

.....अपीलांट।

बनाम

1. नहनी पत्नी मोती } जाति लोधा निवासी भवनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. प्रताप पुत्र चरन सिंह }

..... असल रेस्पोंडेंट।

3. विजय सिंह
4. केशव } पुत्रगण पुन्नो जाति लोधा नि0 भवनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. बलवीर
6. पिन्टू
7. सुनीता पुत्री पुन्नो पत्नी चोब सिंह } जाति लोधा नि0 खेरिया तहसील रूपवास जिला
8. नकिया पुत्री पुन्नो पत्नी शांतिस्वरूप } भरतपुर।
9. गुजरी पत्नी शंकर जाति लोधा निवासी भवनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 15.03.2016 मि.नं. 30/12 उनवानी त्रिवेणी बनाम नहनी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भवनपुरा तहसील रूपवास के वादी/अपीलाण्ट 6/7 भाग व शेष भाग 1/7 के तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं एवं इसी प्रकार मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं। असल प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। परन्तु असल प्रतिवादीगण/रैस्पो0 जोर जबरदस्ती से लट्ठ के बल विवादित आराजीयात को जबरन छीनना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। असल प्रतिवादी/रैस्पो0 ने दौराने दावा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं 10 सीपीसी प्रस्तुत कर, निवेदन किया कि वादी/अपीलांट ने विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से को असल प्रतिवादी/रैस्पो0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, वादी/अपीलाण्ट के दावे को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने असल प्रतिवादी/रैस्पो0 का उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई स्वीकार करते हुए, दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुए, अपने मौखिक कथन में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने असल रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र धारा 151 व 10 सीपीसी पर विश्वास करते हुए, अपीलाण्ट का दावा बिना पूर्ण सुनवाई खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को असल रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के लिए इस तथ्य पर गौर करना चाहिए था कि समान पक्षकारान द्वारा समान विवाद बिन्दु को लेकर दावा किया है या नहीं, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि सिविल वाद में अनुतोष वयनामा शून्य कराने का चाहा गया था जबकि हस्तगत प्रकरण में वयनामा शून्य कराये जाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अपीलाण्ट का दावा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने बाबत् है। अतः दोनों वादो में विवाद बिन्दु भिन्न-भिन्न हैं एवं विवाद बिन्दु भिन्न होने से धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की अन्तिम लाईन में अंकित किया है कि दावे की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है जबकि अपीलाण्ट द्वारा कृषि भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय वाद को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं माने जाने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व, वाद में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया एवं ना ही दावे का निर्णय मैरिट पर ही किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रैस्पो0 के पक्ष में विक्रय करते हुए, कब्जा सौंप दिया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रैस्पो0 के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद, उच्च न्यायालय स्तर तक खारिज हो चुके हैं। अपीलाण्ट को खुद के द्वारा किये गये बेचान के विरूद्ध वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2000 पेज 132, डीएनजे 2000 पेज 923 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट स्वयं ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 83 रकवा 01 बीघा 09 बिस्वा में से अपने 3/7 हिस्से का बेचान रैस्पो0 के पक्ष में कर दिया है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 अन्तर्गत अपीलाण्ट के विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारो का अवसमन हो चुका है। अपीलाण्ट अब घोषणात्मक वाद से उन्हें पुर्नजीवित करना चाहते हैं, जो विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना सम्भव नहीं है। परन्तु अपीलाण्ट के विक्रय पत्र निरस्तीकरण वाद, उच्च न्यायालय तक खारिज हो चुका है। उक्त आदेशो के रहते अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा हम अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर